पत्रांक– 03 / Smart City–02–05 / 2017– 133 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28/03/2019

विषयः– **स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु योजना मद में विमुक्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन की स्वीकृति।**

स्वीकृत्यादेश सं0– 172 दिनांक– 28/03/2019 के आलोक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–K-15016/157/2015-SC-I दिनांक– 28.06.2017 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत पटना शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य पटना शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास ओर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से पटना शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत व्यय हेतु भारत सरकार के पत्रांक–K-15016/136(4)/2015-SC-I दिनांक–19.03.2019 द्वारा योजना मद में विमुक्त राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) की आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी हेतु आवंटित की जाती है।

2. **स्वीकृत आवंटित राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे।** उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.18 एवं पत्रांक–7085 दिनांक–19.09.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसे आवश्यकतानुसार पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी" को RTGS/PFMS द्वारा विमुक्त किया जाएगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी / एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0304, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, **विपत्र कोड–48-2217030510304,** PFMS Code- 9478 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान, 0304.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय में उपबंधित राशि 210.00 करोड़ रू (दो सौ दस करोड़ रू मात्र) के अवशेष राशि 86.736 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. **राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा।** यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। परन्तु राशि का व्यय पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जायेगा इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जाएगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–03/Smart City–02–05/2017– 133 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 28/03/2019

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–03/Smart City–02–05/2017– 133 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 28/03/2019

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक– 03 / Smart City–02–05 / 2017– 172 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.03.2019

विषयः– **स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत पटना शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु योजना मद में विमुक्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–K-15016/157/2015-SC-I दिनांक– 28.06.2017 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत पटना शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य पटना शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास ओर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से पटना शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत व्यय हेतु भारत सरकार के पत्रांक– K-15016/136(4)/2015-SC-I दिनांक–19.03.2019 द्वारा योजना मद मे विमुक्त राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी हेतु आवंटित की जाती है।

2. **स्वीकृत आवंटित राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे।** उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.18 एवं पत्रांक–7085 दिनांक–19.09.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसे आवश्यकतानुसार पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी" को RTGS/PFMS द्वारा विमुक्त किया जाएगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी / एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि 86.00 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ रू मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0304, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, **विपत्र कोड–48-2217030510304,** PFMS Code- 9478 विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान, 0304.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय में उपबंधित राशि 210.00 करोड़ रू (दो सौ दस करोड़ रू मात्र) के अवशेष राशि 86.736 करोड़ रू0 (छियासी करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. **राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा।** यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। परन्तु राशि का व्यय पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जायेगा इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जाएगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0–52/टि0 पर दिनांक– 28.03.19 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0–52/टि0 पर दिनांक–28.03.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–03/Smart City–02–05/2017– 172 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 28.03.2019

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–03/Smart City–02–05/2017– 172 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः– 28.03.201

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.03.19

सरकार के विशेष सचिव।